प्राथमिकता/समयबद्ध
अर्द्ध.प.सं. 342/168/वा.जि.यो./रा.यो.आ./2016–17
देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018

अमित सिंह नेगी
आई0ए0एस0
सचिव।

राज्य योजना आयोग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रिय,

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड क्षेत्र के नियोजित विकास एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद स्तर पर जिला योजना संरचना का अत्यधिक महत्व है। अतः आवश्यक है कि जिला योजना संरचना के कार्य को विशेष महत्ता प्रदान करते हुए जिले की आवश्यकताओं/प्रतिबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुये गहन परीक्षण एवं सावधानी के साथ तैयार किया जाय।

जिला योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित रू 500.00 करोड़ की धनराशि ही व्यय नहीं हो पा रही है तथा माह जनवरी, 2018 तक प्राविधानित रू0 500.00 करोड की शतप्रतिशत धनराशि पूर्व में ही स्वीकृति की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक रू0 310.90 करोड़ की धनराशि ही व्यय की गयी है, जो प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय मात्र 62.18 प्रतिशत है।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त जिला योजना 2018–19 हेतु रू0 550.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। जनपदवार फॉट परिशिष्ट–I संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिला योजना में प्राविधानित धनराशि के त्वरित व आवश्यकता अनुरूप व्यय हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जा रहे है :–

1. पुराने चालू कार्यो की अधिकता के दृष्टिगत 60 प्रतिशत पुराने चालू कार्यो तथा 40 धनराशि नये कार्यो हेतु सुरक्षित रखा जाय।
2. विगत वर्षो में जनपदों द्वारा जो जिला योजनायें प्रस्तावित की गयी है उसमें जिलों को आंवटित धनराशि के सापेक्ष लगभग 75 प्रतिशत धनराशि अवस्थापना सम्बन्धी मदों में ही प्रस्तावित की जा रही है, इसलिए आगामी जिला योजना 2018–19 में जनपद को कुल आवंटित धनराशि का अधिकतम 60 प्रतिशत अवस्थापना मदों सड़क, सिंचाई, विद्युत आदि में प्रस्तावित किया जाय।
3. **Gap Analysis :** वर्तमान में जनपदों में केन्द्र पोषित केन्द्रीय, राज्य पोषित तथा वाह्य सहायतित योजनायें संचालित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त

अन्य Funding mechanism जैसे 14 वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि आदि से भी परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है, इसके बावजूद भी कुछ ग्राम/क्षेत्र विकासीय कार्यो से वंचित रह जा रही है। इस हेतु आवश्यक है कि जनपद पर Gap Analysis की जाये तथा जिला योजना में उन क्षेत्र/ग्रामों पर विशेष ध्यान दिया जाय। जैसे Livelihood हेतु जनपद में NRLM, IWMP, ग्राम्या, ILSP आदि परियोजनायें चल रही है, जो ग्राम NRLM में चयनित है, वह ग्राम्या या ILSP में नहीं रखा गया है, परन्तु बहुत सारे ऐसे भी ग्राम है जहाँ उपरोक्त में से कोई भी योजना नहीं चल रही है। अतः जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को स्वयं इसी प्रकार से Gap Analysis कर जिला योजना का निर्माण करना चाहिए।

उत्तराखण्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा पर्वतीय परिवेश में योजनाओं की गुणवत्ता, महत्ता, योजना के स्थानीय लाभ रोजगार सृजन की सम्भावनायें, उत्पादकता और व्यय तथा अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं के सन्दर्भ में चालू योजनाओं का परीक्षण भी इस दृष्टिकोण से अवश्य कर लिया जाय कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी चलाये रखने का अभिमत है अथवा नहीं, योजनाओं के गहन परीक्षण एवं अध्ययन के पश्चात् अनावश्यक अनुपयुक्त ऐसी योजनाओं जिनकी उपादेयता अब उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिये नहीं रह गयी है की जीरो बेस बजटिंग के सिद्धान्त के आधार पर समीक्षा करके, उन्हे समाप्त करने तथा विभिन्न योजनाओं को रेशनलाइजन (Rationalization) एकीकृत करके योजनाओं की संख्या यथा सम्भव कम करने अथवा योजनाओं को प्रोजेक्ट रूप देते हुये समयबद्ध से उन्हे पूर्ण कराने हेतु आवश्यकताओं का आंकलन करते हुये तद्नुसार जिला योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाय।

जिला योजना के लिये निर्धारित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों से सम्बन्धित विभागवार राइट अप भी पृथक से अवश्य उपलब्ध कराया जाय। पूर्व वर्षो में यह अनुभव किया गया है कि जनपदों द्वारा राइट अप उपलब्ध नहीं कराये जाते है। विभागवार Write up निम्नानुसार तैयार किये जाने का प्रयास किया जाय :

i. सेक्टर/विभाग के उद्देश्य एवं लक्ष्य
ii. सेक्टर/विभाग की दृष्टि (Vision)
iii. रणनीति(Strategy)/अभिनव पहल (New Initiatives)
iv. योजनावार औचित्य सहित संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त निम्न चार नक्शों को भी बनना सुनिश्चित किया जाय।

पहले नक्शे में जिले की मूल भौतिक रेखायें स्पष्ट दिखायी जाये। इसमें कन्टूर (Contour) द्वारा ऊँचाई, वर्षा, नदियाँ, वन क्षेत्र, मिट्टी की प्रधान किश्में, भूमिगत जल की उपलब्धता बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पानी, के भराव (Water Logging) क्षेत्र, कटान, ग्रस्त (Ravines) क्षेत्र दिखाये जाये।

दूसरे नक्शे में फसल पद्धति (Cropping Pattern) दिया जाय। विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल भी इंगित कर दिया जाय। इसी नक्शे में औद्योगिक केन्द्र, प्रमुख उद्योगों के स्थल, आदि भी दिखाये जाये।

तीसरे नक्शे में संचार प्रणाली, सड़क एवं विद्युत विवरण लाइने के केन्द्र दर्शाया जाय। विद्युत वितरण में 133 के0वी0, 66 के0वी0,33 के0वी0 एवं यथा संभव 11 के0वी0 का अंकन किया जाय। प्रमुख सड़कों को राष्ट्रीय, राजकीय एवं जिला मार्गों के रूप में दिखाया जाय। सिंचाई प्रणाली में नहरों एवं गूलों की लम्बाई/क्षमता भी यथा सम्भव दी जाय।

चौर्थ नक्शे में प्रशासनिक केन्द्रों, तहसील एंव विकास खण्डों को दिखाया जाय। साथ ही निम्न विवरण को भी दर्शाया जाय।

1. 1000 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव।
2. 500 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
3. नगर निगम/नगर पालिकाओं।
4. स्वास्थ्य सुविधायें।
5. शिक्षण संस्थायें।
6. पशु चिकित्सा सुविधायें
7. कृषि सेवा केन्द्र
8. बीज, उर्वरक एवं कीट नाशक वितरण केन्द्र।
9. बैंकिग एवं ऋण सुविधा केन्द्र।
10. पेयजल सुविधा

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007, एवं संशोधन अध्यादेश, 2015 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की जिला योजना सरंचना का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध किया जाना है। जिला योजना संरचना का कार्य बजट प्रक्रिया से पूर्व पूर्ण कर लिया जाय। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, नगर पंचायतों तथा जिला पंचायतों की प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं /अंतर्विकासखण्डीय/अन्तर्विभागीय विषमताओं के दृष्टिगत वर्ष 2018–19 की जिला विकास योजना संरचना का कार्य प्रारम्भ कर लें। जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना दिनांक 06 अप्रैल, 2018 तक सॉफ्ट कापी (Soft Copy) एवं हार्ड कापी (Hard Copy) में राज्य योजना आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**समस्त जिलाधिकारी (नाम से)**

भवदीय,

**(अमित सिंह नेगी)**
सचिव